भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1900

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना

1900. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II के अंतर्गत पुनर्स्थापन के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने बांधों की पहचान की गई है;

(ख) इन चरणों के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित और जारी की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने बांधों का जीर्णोद्धार किया गया है; और

(घ) बांध सुरक्षा के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित करने और आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने के लिए डीआरआईपी के अंतर्गत राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): बाहरी वित्तपोषित बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II और चरण-III के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की दी गई मंजूरी के अनुसार, 19 राज्यों और 2 केंद्रीय एजेंसियों में कुल 736 बांधों की पुनर्वास और सुरक्षा की दृष्टि से सुधार के लिए पहचान की गई है। पहचान किए गए इन बांधों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I** पर दिया गया है।

(ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, डीआरआईपी, चरण II और III योजना की कुल लागत 10,211 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 19 राज्य और 3 केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं, जिसका उपयोग 10 वर्षों की अवधि (वर्ष 2021-2031) में किया जाएगा। इसमें से चरण II के लिए 5,107 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जबकि चरण III के लिए 5,104 करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है।

यह योजना सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 70:30, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80:20, और केंद्रीय एजेंसियों के लिए 50:50 के अनुपात वाली वित्तपोषण पद्धति (बाहरी: सहयोगी) का अनुपालन करती है। 'बाहरी' घटक से तात्पर्य उस ऋण सहायता से है जो विश्व बैंक और एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। निष्पादन एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के अनुरूप ऋण का वितरण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

15 नवंबर 2025 तक धन आवंटन और व्यय का एजेंसी-वार विवरण **अनुलग्नक II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र डीआरआईपी चरण-II और III योजना का हिस्सा नहीं है।

(ग): 30 नवंबर 2025 तक, डीआरआईपी चरण- II के अंतर्गत 31 बांधों के संबंध में प्रमुख वास्तविक पुनर्वास कार्यों को पूरा कर लिया गया है।

(घ): डीआरआईपी चरण II के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को नियमित रूप से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना और आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) तैयार करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। राज्यों को डीआरआईपी निधि के उपयोग के माध्यम से मुख्य गैर-संरचनात्मक सुरक्षा उपाय के रूप में ईडब्लयूएस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को प्रभावी सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु डैम ब्रेक विश्लेषण में सहायता प्रदान करने और बांध-विशिष्ट ईएपी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित डीआरआईपी चरण-I (वर्ष 2012-2021) के दौरान, सात राज्यों अर्थात् झारखंड (3), कर्नाटक (22), केरल (51), मध्य प्रदेश (25), ओडिशा (22), तमिलनाडु (85), और उत्तराखंड (2) के 210 बांधों के संबंध में आपातकालीन कार्य योजनाएँ तैयार की गई। इस प्रगति के आधार पर, चल रही डीआरआईपी चरण-II के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अब तक 12 बांधों के संबंध में ईएपी तैयार की गई हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 1900 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	**राज्य/एजेंसी**	**डीआरआईपी-II और III योजना के अंतर्गत पुनर्वास के लिए चिन्हित बांधों की संख्या**		
		चरण-II	**चरण-III**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश डब्ल्यूआरडी	19	12	31
2	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी)	1	1	2
3	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	5	0	5
4	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	4	1	5
5	गोवा डब्ल्यूआरडी	2	0	2
6	गुजरात डब्ल्यूआरडी	6	0	6
7	झारखंड डब्ल्यूआरडी	4	31	35
8	कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	12	29	41
9	केरल एसईबीएल	8	4	12
	केरल डब्ल्यूआरडी	16	0	16
10	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	154	13	167
11	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	2	0	2
12	मेघालय पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल)	6	0	6
13	मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी	27	0	27
14	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	35	1	36
15	पंजाब डब्ल्यूआरडी	8	4	12
16	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	175	14	189
17	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (टीएनजीईसीएल)	16	6	22
	तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	29	8	37
18	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	20	9	29
19	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल)	2	4	6
20	उत्तर प्रदेश आई एवं डब्ल्यूआरडी	37	2	39
21	पश्चिम बंगाल आई एवं डब्ल्यूडी	9	0	9
	कुल	**597**	**139**	**736**

*****

अनुलग्नक-II

"बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 1900 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	राज्य/एजेंसी	दिनांक 15.11.2025 तक डीआरआईपी चरण-II के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच आवंटन	दिनांक 15.11.2025 तक हुआ खर्च (करोड़ रुपए में)
1	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी)	70	0
2	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	170	51.91
3	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	44	1.17
4	गोवा डब्ल्यूआरडी	58	0
5	गुजरात डब्ल्यूआरडी	350	229.39
6	झारखंड डब्ल्यूआरडी	0	0
7	कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	699	268.71
8	केरल एसईबीएल	90	57.84
	केरल डब्ल्यूआरडी	130	45.15
9	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	65.87
10	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	98	59.71
11	मेघालय पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल)	150	71.9
12	मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी	186	30.18
13	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	100	36.55
14	पंजाब डब्ल्यूआरडी	71	0.36
15	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	163.86
16	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (टीएनजीईसीएल)	260	148.32
	तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	510	277.35
17	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	100	0
18	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल)	300	206.55
19	उत्तर प्रदेश आई एवं डब्ल्यूआरडी	354	21.05
20	पश्चिम बंगाल आई एवं डब्ल्यूडी	200	54.33
21	सीडब्ल्यूसी	285	141.02
	कुल	**5107**	**1931.22**

*****